"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 अक्टूबर 2013—कार्तिक 3, शक 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती रेणु बोस धर्मपत्नि संजय बोस, उम्र 35 वर्ष, निवासी-रामनगर, सुभाष चौक भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम कुमारी राधा घोष आत्मज हीरालाल घोष दर्ज है. मेरा विवाह श्री संजय बोस के साथ हुआ है. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर श्रीमती रेणु बोस ध. प. संजय बोस रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती रेणु बोस ध. प. संजय बोस के नाम से जानी, पहचानी, पुकारी व दर्ज की जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कुमारी राधा घोष पिता-श्री हीरालाल घोष निवासी-रामनगर, सुभाष चौक भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती रेणु बोस पति-श्री संजय बोस निवासी-रामनगर, सुभाष चौक भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बेचन आ. स्व. शेख गफूर, उम्र 58 वर्ष, निवासी गरीब नवाज रोड, इमाम बाड़ा चौक, बाबा फरीद नगर कोहका भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र में सिनियर टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूं. यह कि मेरे छोटे पुत्र का नाम भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के अभिलेखों में त्रुटिवश मोहम्मद शहबाज अहमद दर्ज हो गया है जबकि मेरे पुत्र का सही नाम नदीम शाबाज है जो शाला अभिलेखों में दर्ज है. मैं अपने छोटे पुत्र का सही नाम भिलाई इस्पात संयंत्र के अभिलेखों में दर्ज करवाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मेरे छोटे पुत्र को नदीम शाबाज आत्मज बेचन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
मो. शहबाज अहमद पिता-बेचन निवासी-गरीब नवाज रोड, फरीद नगर सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	नदीम शाबाज पिता-बेचन निवासी-गरीब नवाज रोड, फरीद नगर सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहम्मद नईम (Mohammad Naeem) पिता स्व. अब्दुल मन्नान, उम्र 41 वर्ष, निवासी सेंट जोसफ चर्च के पास, बैरन बाजार रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई स्टील प्लांट भिलाई में सीनियर कॉपरेटिव्ह के पद पर कार्यरत हूं. यह कि मेरे बारहवीं, बी. एस. सी. एवं एम. एस. सी. की अंकसूची में मोहम्मद नईम (Mohammad Naeem) दर्ज है तथा मेरे दसवीं की अंकसूची तथा भिलाई स्टील प्लांट के अभिलेखों में मेरा नाम मोहम्मद नइम (Mohammad Nayeem) दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर मोहम्मद नईम (Mohammad Naeem) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे मोहम्मद नईम (Mohammad Naeem) पिता स्व. अब्दुल मन्नान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
मोहम्मद नइम (Mohammad Nayeem) पिता-स्व. अब्दुल मन्नान निवासी-सेंट जोसफ चर्च के पास बैरन बाजार, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)	मोहम्मद नईम (Mohammad Naeem) पिता-स्व. अब्दुल मन्नान निवासी-सेंट जोसफ चर्च के पास बैरन बाजार, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जेम्स जार्ज टी. आत्मज श्री जार्ज जेकब, निवासी प्लाट 333, स्ट्रीट 2 ई, होरी आटो के पास, प्रगति नगर रिसाली भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरी छोटी पुत्री को REIA JAMES THYPARAMPIL के नाम से जानी जाती थी. मैं अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर RIA TREASA JAMES रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी छोटी पुत्री को RIA TREASA JAMES पिता जेम्स जार्ज टी. के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

REIA JAMES THYPARAMPIL
पिता - जेम्स जार्ज टी.
निवासी-प्लाट 333, स्ट्रीट 2 ई,
होरी आटो के पास, प्रगति नगर, रिसाली भिलाई
तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

RIA TREASA JAMES
पिता - जेम्स जार्ज टी.
निवासी-प्लाट 333, स्ट्रीट 2 ई,
होरी आटो के पास, प्रगति नगर, रिसाली भिलाई
तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, परसराम भागबोले आत्मज श्री देवराव भागबोले, जाति कुन्बी, उम्र 49 वर्ष, निवासी - ब्लाक 42/ई., रिसाली सेक्टर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे कक्षा पहली से लेकर ग्यारहवीं तक के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र में मेरा नाम परसराम आ. देवराव भागबोले दर्ज है तथा मेरे बी.एस. सी., एम. एस. सी. की अंकसूचियों, वाहन चालक लाईसेंस एवं राशन कार्ड में मेरा नाम परसराम भागबोले दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम जोड़कर मैं अपना नया नाम परसराम भागबोले रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे परसराम भागबोले आत्मज श्री देवराव भागबोले के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

परसराम
आत्मज-श्री देवराव भागबोले
निवासी-ब्लाक नं. 42/ई., रिसाली सेक्टर भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

परसराम भागबोले
आत्मज-श्री देवराव भागबोले
निवासी-ब्लाक नं. 42/ई., रिसाली सेक्टर भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, खेमराज साहू आत्मज श्री रोमनाथ साहू, उम्र 29 वर्ष, निवासी-ग्राम चैनगंज, वार्ड नं. 15, पोस्ट व तहसील गुण्डरदेही, जिला बालोद (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम खेमराज आ. श्री रोमनाथ दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम जोड़कर नया नाम खेमराज साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे खेमराज साहू आत्मज श्री रोमनाथ साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
खेमराज आत्मज - श्री रोमनाथ निवासी-चैनगंज, वार्ड नं. 15 पो. व तह. गुण्डरदेही जिला बालोद (छ. ग.)	खेमराज साहू आत्मज - श्री रोमनाथ निवासी-चैनगंज, वार्ड नं. 15 पो. व तह. गुण्डरदेही जिला बालोद (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2013

क्रमांक/परि./2013/1052.—सरस्वती मछुआ सहकारी समिति मर्या. राक, पंजीयन क्रमांक 189 दिनांक ....को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/314 दिनांक 11-04-2013 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया, उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-1519/15-02/2012/03, दिनांक 4 मई 2012 के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं उमेश तिवारी, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, सरस्वती मछुआ सह समिति मर्या. राक को परिसमापन में लाता हूं, तथा श्री बी. आर. यादव पद सह. वि. अधिकारी मस्तूरी को उक्त संस्था का सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

उमेश तिवारी,
उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा जिला कोरबा (छ. ग.)

कोरबा, दिनांक 27 अगस्त 2013

क्रमांक/उपंको/परिस/452/2013.—बाल्को ईंधन आपूर्ति सह. समिति मर्या. बाल्को पंजीयन क्रमांक 28 दिनांक 02-04-2002 को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 254 दिनांक 04-07-13 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एन. कुजुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.) बाल्को ईंधन आपूर्ति सह. समिति मर्या., बाल्को को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एस. के. कंवर, सह. वि. अधि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 27 अगस्त 2013

क्रमांक/उपंको/परिस/454/2013.—महामाया ऊर्जा उत्पादन सहकारी समिति मर्या. जेमरा वि. ख. पाली पंजीयन क्रमांक 55 दिनांक 24-07-2004 को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 255 दिनांक 04-07-13 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एन. कुजुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.) महामाया ऊर्जा उत्पादन सहकारी समिति मर्या. जेमरा वि. ख. पाली को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एस. के. कंवर, सह. वि. अधि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 27 अगस्त 2013

क्रमांक/उपंको/परिस/455/2013.—श्रमिक सह. समिति मर्या., ओमपुर (रजगामार) वि. ख. कोरबा पंजीयन क्रमांक 69 दिनांक 30-04-2005 को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 256 दिनांक 04-07-13 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एन. कुजुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.) श्रमिक सह. समिति मर्या., ओमपुर (रजगामार) वि. ख. कोरबा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एस. के. कंवर, सह. वि. अधि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 27 अगस्त 2013

क्रमांक/उपंको/परिस/456/2013.—पावर हाउस श्रम ठेका सह. समिति मर्या. कोरबा, वि. ख. कोरबा पंजीयन क्रमांक 77 दिनांक 14-02-2006 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 257 दिनांक 04-07-13 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एन. कुजुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.) पावर हाउस श्रम ठेका सह. समिति मर्या. कोरबा, वि. ख. कोरबा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एस. के. कंवर, सह. वि. अधि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 27 अगस्त 2013

क्रमांक/उपंको/परिस/457/2013.—फुटका पहाड़ श्रमिक सह. समिति मर्या., फुटका पहाड़, वि. ख. कोरबा पंजीयन क्रमांक 83 दिनांक 17-04-2010 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 258 दिनांक 04-07-13 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एन. कुजुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.) फुटका पहाड़ श्रमिक सह. समिति मर्या., फुटका पहाड़, वि. ख. कोरबा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एस. के. कंवर, सह. वि. अधि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 27 अगस्त 2013

क्रमांक/उपंको/परिस/458/2013.—जय महामाया बकरी/मुर्गीपालन सह. समिति मर्या., जैलगांव वि. ख. कटघोरा पंजीयन क्रमांक 102 दिनांक 19-07-2007 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 259 दिनांक 04-07-13 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एन. कुजुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.) जय महामाया बकरी/मुर्गीपालन सह. समिति मर्या., जैलगांव वि. ख. कटघोरा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. के. ध्रुव, सह. वि. अधि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 27 अगस्त 2013

क्रमांक/उपंको/परिस/459/2013.—श्री राम ऊर्जा उत्पादन सह. समिति मर्या. उचलेंगा पो. मोरगा वि. ख. पोड़ी उपरोड़ा पंजीयन क्रमांक 84 दिनांक 26-04-2006 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 263 दिनांक 05-07-13 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एन. कुजुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.) श्री राम ऊर्जा उत्पादन सह. समिति मर्या. उचलेंगा पो. मोरगा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. के. ध्रुव, सह. वि. अधि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 27 अगस्त 2013

क्रमांक/उपंको/परिस/460/2013.—सरस्वती ऊर्जा उत्पादन सह. समिति मर्या. खिरटी, पो. मोरगा वि. ख. पोड़ी उपरोड़ा पंजीयन क्रमांक 85 दिनांक 26-04-2006 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 264 दिनांक 05-07-13 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एन. कुजुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.) सरस्वती ऊर्जा उत्पादन सह. समिति मर्या. खिरटी, पो. मोरगा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. के. ध्रुव, सह. वि. अधि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 27 अगस्त 2013

क्रमांक/उपंको/परिस/461/2013.—शारदा ऊर्जा उत्पादन सह. समिति मर्या. केन्दई, पो. मोरगा पंजीयन क्रमांक 87 दिनांक 26-04-2006 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 265 दिनांक 05-07-13 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एन. कुजुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.) शारदा ऊर्जा उत्पादन सह. समिति मर्या. केन्दई, पो. मोरगा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. के. ध्रुव, सह. वि. अधि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 27 अगस्त 2013

क्रमांक/उपंको/परिस/462/2013.—विश्वकर्मा आदर्श उद्योग प्रा. स. समिति मर्या. कसनिया पंजीयन क्रमांक 3697 दिनांक 28-10-1995 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 267 दिनांक 05-07-13 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एन. कुजुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.) विश्वकर्मा आदर्श उद्योग प्रा. स. समिति मर्या. कसनिया, वि. ख. पोडीउपरोड़ा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. के. ध्रुव, सह. वि. अधि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 27 अगस्त 2013

क्रमांक/उपंको/परिस/463/2013.—आदिवासी महिला रेशम कोसा कृमिपालन एवं धागाकरण उद्योग सह. समिति मर्या. खिरटी पंजीयन क्रमांक 3893 दिनांक 19-05-1998 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 268 दिनांक 05-07-13 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एन. कुजुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.) आदि. महिला रेशम कोसा कृमिपालन एवं धागाकरण उद्योग सह. समिति मर्या. खिरटी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. के. ध्रुव, सह. वि. अधि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 27 अगस्त 2013

क्रमांक/उपंको/परिस/464/2013.—आदि. रेशम उद्योग सह. समिति मर्या. बिंझरा, वि. खण्ड पोड़ी उपरोड़ा पंजीयन क्रमांक 3896 दिनांक 08-06-1998 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 269 दिनांक 05-07-13 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एन. कुजुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.) आदि. रेशम उद्योग सह. समिति मर्या. बिंझरा, वि. खण्ड पोड़ी उपरोड़ा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. के. ध्रुव, सह. वि. अधि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

एन. कुजुर,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.